

# कार्यालय जिला पंचायत-जशपुर (छ0ग0)

Email-zp-jashpur.cg@nic.in

क्रमांक/301/उप संचा.पंचा./RGSA/संवि.भर्ती/2025

जशपुर, दिनांक 09 /04/2025

—: विज्ञापन :-

संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, विकास भवन, सेक्टर 19, नार्थ ब्लॉक, भूतल नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक/पंचा./RGSA/144B/2025/771 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 20.03.2025 के तहत Revamped राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत जिले में स्वीकृत निम्नलिखित पद की संविदा भर्ती हेतु नीचे वर्णित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित वांछित अर्हताधारी छ0ग0 के मूल निवासी, इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर (छ.ग.) में दिनांक 25/04/2025 की शाम 05:00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट में स्वीकृत किया जायेगा। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

रिक्त पदों का विवरण

| क्र. | पद का नाम               | स्वीकृत पद              | वेतन                     | रिमांक |
|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| 1    | 2                       | 3                       | 4                        | 5      |
| 1    | सहायक जिला समन्वयक RGSA | 01<br>(अनारक्षित-मुक्त) | 31750/-<br>एकमुश्त मासिक | संविदा |

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

| क्र. | पदनाम                          | संविदा वेतन रु. में              | निर्धारित अर्हता                                                                                                                                                                              | 100 अंकों का मेरिट हेतु निर्धारण                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | सहायक जिला समन्वयक (ADPM) RGSA | 3,1750/-<br>संविदा एकमुश्त मासिक | 1. मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक डिग्री उत्तीर्ण।<br>2. कम से कम 01 वर्ष का शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव। | अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंकों का अधिभार -70%<br>शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक<br>पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता<br>कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस.ऑफिस) के अंकों का अधिभार-20% |

नियम एवं शर्तें :-

- निर्धारित प्रारूप में आवेदन/आवेदन पत्र में फोटो, समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज की प्रति आवेदक द्वारा स्व प्रमाणित होना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा।
- लिफाफे के ऊपर नाम एवं पदनाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख किया जावे। इसी प्रकार लिफाफा के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखा जावे। आवेदन पत्र के साथ स्वयं के पत्र व्यवहार, पता लिखा हुआ 02 लिफाफा जिसमें 25-25 रुपये का डाक टिकट संलग्न करना अनिवार्य है।
- विज्ञापन तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
- आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में छ.ग. निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिए समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी।

5. छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे।
6. आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदक का रोजगार कार्यालय में यथास्थिति जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
8. संविदा अवधि, नियुक्ति दिनांक से योजना अवधि अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जो भी पहले हो तक मान्य होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा। गोपनीय प्रतिवेदन एवं विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा नियुक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नवीनीकरण अवधि 01 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
9. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं उसमें समय-समय पर किये गये संशोधन लागू होंगे।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
11. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
13. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा एवं 01 पद के विरुद्ध 10 प्रतिभागियों को कम्प्यूटर प्रायोगिक (कौशल परीक्षा) के लिए बुलाया जाएगा। तदुपरांत निर्धारित अर्हता के प्राप्तकों में कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी।
14. कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के पूर्व सम्पूर्ण दस्तावेजों की मूल प्रति की जांच की जाएगी। इसमें सही पाए जाने पर ही कम्प्यूटर प्रायोगिक (कौशल परीक्षा) देने हेतु अथ्यर्थी पात्र होंगे। दस्तावेज की एक-एक स्व प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
15. मूल प्रमाण पत्रों की जांच/कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक की नियुक्ति का आदेश संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा। शेष आवेदकों को प्रतिक्षा सूची में रखा जावेगा एवं पद रिक्त होने पर उसी प्रतिक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतिक्षा सूची एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
16. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।
17. अनुभव प्रमाण पत्र में कार्यालय का नाम, जावक क्रमांक एवं दिनांक जारीकर्ता अधिकारी की पदमुद्रा/सील एवं कार्य अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है।
18. यदि किसी आवेदक की अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो, उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक का 8वीं में ग्रेड मिला हो तथा "ए" ग्रेड 80 से 90 प्रतिशत हो तो, उस आवेदक के अंक को 85 प्रतिशत मानकर वरीयता सूची तैयार की जाएगी।
19. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी। जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जाएगा।
20. प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रुटनी उपरांत दावा-आपत्ति हेतु पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य निर्देशों का प्रकाशन जिले के वेबसाइट [www.jashpur.gov.in](http://www.jashpur.gov.in) पर होगी। अन्य किसी भी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जाएगी।
21. दावा आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि में केवल आवेदन पत्र में भरे गए दस्तावेज के संबंध में ही मान्य किया जावेगा। अन्य नवीन दस्तावेज मान्य नहीं किया जावेगा।
22. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आरजीएसए अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो तो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी।

//03//

23. उपरोक्त संविदा सेवा में योजना के दिशा-निर्देश अनुसार निर्धारित मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, इत्यादि नहीं दिया जायेगा।
24. संविदा नियुक्त व्यक्ति को जिस पद पर नियुक्ति दी गई है, उस पद के समकक्ष शासकीय सेवकों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।
25. संविदा में नियुक्त व्यक्ति को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में निहित अवकाश की पात्रता होगी।
26. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) 60:40 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त है, अतः योजनान्तर्गत समस्त पदों की संविदा अवधि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान तक के लिए ही मान्य होगी।
27. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित जिला जशपुर का आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
28. उक्त संविदा भर्ती प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।
29. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर एवं चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
30. आवेदन पत्र का प्रारूप जिला पंचायत जशपुर के सूचना पटल एवं जिला के वेबसाईट [www.jashpur.gov.in](http://www.jashpur.gov.in) पर देखा जा सकेगा।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत जशपुर (छ0ग0)

[illegible]

12. अनुभव का विवरण (न्यूनतम वांछित अनुभव) :-

| क्र. | संस्था का नाम | पदनाम | अनुभव समयावधि |           |      |     |
|------|---------------|-------|---------------|-----------|------|-----|
|      |               |       | दिनांक से     | दिनांक तक | वर्ष | माह |
| 1    | 2             | 3     | 4             | 5         | 6    | 7   |
|      |               |       |               |           |      |     |
|      |               |       |               |           |      |     |
|      |               |       |               |           |      |     |

13. वैवाहिक स्थिति

(क) विवाहित/अविवाहित :- .....

(ख) विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरा जावे :-

विवाह का दिनांक :- .....

(ग) परिवार में संतानों की संख्या :- .....

14. रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन क्रमांक - .....

दिनांक - .....

रोजगार कार्यालय का नाम - .....

15. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

- |         |         |
|---------|---------|
| 1. .... | 2.....  |
| 3. .... | 4.....  |
| 5. .... | 6. .... |
| 7.....  | 8.....  |
| 9.....  | 10..... |

स्थान :- .....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक:- .....

नाम:- .....

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारीयां पूर्ण एवं सत्य है। चयन होने तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान :- .....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक:- .....

नाम:- .....